Regarding compensation to the affected people due to displacement for construction of dam

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा**) :** सभापति महोदया, मेरा विषय माही और कडाणा बांध के बारे में है । 10 जनवरी, 1966 को गुजरात और राजस्थान के मध्य एक समझौता हुआ और यह समझौता डुंगरपुर और बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए काला कानून की तरह दर्ज हो गया । जब बांध बना और वहां के लोग विस्थापित हुए, उन्हें आज तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला और न ही विस्थापित की गई जमीन उनके कब्जे में है । मेरा अनुरोध है कि वर्ष 1966 में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके 77 टीएमसी पानी को राजस्थान में उपयोग करने के लिए प्रयास किया जाए क्योंकि समझौते में लिखा था कि जिस दिन नर्मदा का पानी गुजरात में पहुंच जाएगा, उसके बाद बांध बनाने में जो लागत आई थी, उस लागत को राजस्थान सरकार गुजरात सरकार को देगी और उसके बाद स्थानीय लोगों को पानी मिलेगा । अभी राजस्थान सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जालौर, सिरोही, बाडमेर में पानी लाने की बात कर रहे हैं लेकिन स्थानीय डुंगरपुर-बांसवाड़ा की जनता को पानी नहीं मिल रहा है । आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि जो लोग विस्थापित हुए और दोनों बांध बनने से लगभग 10 हजार से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए थे, गुजरात और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता हुआ था, उस समझौते में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके स्थानीय लोगों को लाभ दे ।